



vktknh ds ckn fcgkj dh efgykvks dh vkkfklld

fLFkfr

MKD vpuk dplkj h
bfrgkl foHkkx]
ohj dpj fl g fo' ofo | ky;] vkj k
fcgkj h

&&&
ब्रिटिश शासनकाल से ही बिहारी समाज के निम्न स्तर की
महिलाएँ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण
भूमिका निभाती आ रही थी। अन्य कार्यों के अतिरिक्त वे भोजन बानाने के लिए
जंगल से लकड़ियाँ भी काट कर लाती थी। वे घरेलू उत्पादों को भी बाजार में
बेचकर अतिरिक्त आय कमा लेती थी जिससे उनके परिवारों को आर्थिक सहायता
पहुँचती थी। धान पीटने एवं बुनाई के अतिरिक्त वे गाय के गोबर से ऊपला
बनाकर भी बाजारों में बेचती थी। इस कार्य में उन्हें एक महिने में करीब दस आने
की आय होती थी, जबकि इसी चीज को शहरों में बेचकर वे एक महीने में एक
रूपए कमा लेती थी।

ग्रियरसन के आकलन के अनुसार, "मध्य बिहार के कारीगर
अतिरिक्त कार्यों से अपने आय में ४४ प्रतिशत की वृद्धि कर लेते थे जिनमें केवल
महिलाएँ ३० प्रतिशत का योगदान देती थी। आजादी के बाद भी विभिन्न कृषकों एवं
श्रेणियों की महिलाएँ सामाजिक परिवेश में विभिन्न तरह के कार्यों को संपादित करती
रही और अधिकांश समय अतिरिक्त कार्य करके पारिवारिक आय को बढ़ाने में भी

सहयोग देती आ रही है। और कभी-कभी तो स्वतंत्र रूप से भी कार्य कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।”

बिहार की महिलाओं भी ने स्वयं सहायता समूहों का गठन करन केवल स्वयं आत्मनिर्भर बन रही है बल्कि राज्य के विकास में भी अपना योगदान दे रही है। कहलगांव प्रखंड मुख्यालय से करीब १०-१२ किलोमीटर दूर अंतीचक गांव में २००३ में एक स्वयं सहायता समूह की नींव रखी गयी और उसके १३ सदस्यों ने इसे समन महिला मंडल का नाम दिया। आज सात साल बाद इस महिला मंडल ने विकास के लिए अपनी एक सोच कायम करते हुए स्वयं सहायता समूहों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। समूह के बारे में निम्नलिखित जानकारी गौर करते योग्य है—समूह के सभी १३ सदस्य आज भी सक्रिय सदस्य हैं, समूह की मासिक बचत की राशि रु. ३० से बढ़कर रु. ५० हो गई है, बचत राशि १, २५, ०००/-समूह के द्वारा आपसी लेन-देन के व्यवसाय में अर्जित ब्याज की राशि है—५०,२९६, समूह द्वारा ६-१० बार ऋण का परिचालन किया गया है एवं उनके परिचालन के फलस्वरूप उनके व्यवसाय का आंकड़ा नौ लाख तक पहुंच चुका है। इसके मंडल के सदस्यों ने इस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विकास किया ही है, साथ ही उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी कुछ रुचि दिखाई है, मसलन—समूह अपनी देख-रेख में अंतीचक में ट अन्य समूहों का संवर्धन कर रही है, महिलाओं को हस्ताक्षर साक्षर बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। पल्स पोलियो अभियान एवं अन्य अभियानों में साकारात्मक भूमिका निभाई जा रही है। अमन महिला मंडल की अध्यक्षा सुनीता देवी, सचिव पिंकी भारती, कोषाध्यक्ष सविता देवी अपने समूह की सोच को अन्य गांवों तक ले जाना चाहती हैं।

महात्मा गांधी ने स्वदेशी आधारित जिस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की थी, उसे सकार करने में बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्षा पुष्पा चोपड़ा अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आज से ३५ वर्ष पूर्व जब महिलाओं को महज 'किचेन गर्ल' के रूप में देखा जाता है, उस जमाने में पुष्पा चोपड़ा

महिलाओं को एक अलग पहचान हस्ती बन चुकी हैं। इन्होंने बिहार के हस्तशिल्प को पूरे देश में ख्याति दिलायी है।

आज से तीन-चार दशक पूर्व कई ऐसे कार्यक्षेत्र रहे थे, जहाँ महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध माना जाता रहा था। लेकिन कुछ साहसी महिलाओं ने ऐसे निषिद्ध क्षेत्रों में कार्य करके पुरुषों के एकाधिकारों को तो समाप्त किया ही है, अपनी कार्य कुशलता का भी परिचय दिया है। उनमें एक ऐसा ही कार्य क्षेत्र है, शेयर बाजार। हमारे देश में सातवें दशक तक किसी भी शेयर बाजार में महिलाएँ कार्य नहीं कर रही थी। आठवें दशक के उत्तरार्द्ध में बंबई स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार उषा सुन्दरम आयी। उनके बाद धीरे-धीरे महिलाएँ इस क्षेत्र में आने लगीं। लेकिन बिहार जैसे पिछड़े राज्य में स्टॉक एक्सचेंज में महिलाओं का आना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन अपनी असाधरण प्रतिभा के बल पर सरोज गुटगुटिया शेयर बाजार की दुनिया में आयी। सरोज गुटगुटिया को बिहार की प्रथम महिला 'शेयर ब्रोकर' होने का गौरव प्राप्त है।

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान महिलाओं में भी जागरण उत्पन्न हुआ और पुराने बंधनों को तोड़कर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। बिहार की जिन महिलाओं ने राष्ट्रीय जागरण के पहले शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया था, उनमें सच्चिदानन्द सिन्हा की धर्मपत्नी राधिका सिन्हा एवं विद्या देवी के नाम स्मरणीय हैं।

कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के मुताबिक, ९० मई २००६ को हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर ६४६ जज थे, जिनमें से ५९ महिलाएँ थीं, यह ७.८५ फीसदी के बराबर है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में दो महिला न्यायाधीश हैं जिनमें एक जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की जन्म भूमि और कर्मभूमि दोनों ही रही है। सर्वोच्च न्यायालय की चौथी महिला न्यायाधीश के रूप में उन्होंने ३० अप्रैल, २०१० को कार्यभार ग्रहण किया।

दहेज हत्या के एक मामले में निर्णय देते हुए उन्होंने सभी न्यायालयों को यह निर्देश जारी किया कि इसे गंभीरतम्/भयावह अपराध को हत्या की तरह मानते हुए मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। उन्होंने अपना निर्णय देते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध को सामान्य अपराध न माना जाए, क्योंकि यह हमारी पूरी सामाजिक संरचना को बाधित करता है, अतः कठोर दंड दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि हमारे समाज का पूर्ण व्यवसायिकरण हो चुका है और धन का लालच लोगों को उत्प्रेरित करता है कि वह अपनी पत्नी की हत्या तक कर दे। अब वह समय आ गया है कि हम कठोर निर्णय लेकर समाज से इस कुप्रथा का अंत करें। दलित उत्पीड़न से संबंधित एकमामले में भी उन्होंने दलितों के सम्मान की रक्षा करने की बात कहीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

१. डॉ. विजय कुमार : बिहार के विकास में महिलाओं की भूमिका, पृ. ६५-८३.
२. श्याम सुंदर प्रसाद : बिहार में शहर की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, पृ. ५९-५२.
३. पंकज कुमार झा : सुशासन के आइने में बिहार, पृ. १६९-८३।
४. काब्दी, वीमेन पी. गोपाल, एस. : इंडियन हू इज हूए (१६३७) शेसल चेंजेज इन बिहार।
५. गांधी, मो. के. : समाज में स्त्रियों का स्थान और कार्य।
६. गांधी, मो. के. : वीमेन इन शेसल जस्टिस.